



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16052023-245894
CG-DL-E-16052023-245894

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]
No. 296]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 16, 2023/वैशाख 26, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 16, 2023/VAISAKHA 26, 1945

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 16 मई, 2023

सा. का. नि. 368(अ).—भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना संख्या 35/2023 - सीमा शुल्क, जिसे सा. का. नि. 332(अ), दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में 1 मई, 2023 को प्रकाशित किया गया था, में पृष्ठ 4 पर, लाइन 14 और 15 में, '(i) क्रम संख्या 515क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "8524 11 30 या 8524 12 30" के स्थान पर '(iii) क्रम संख्या 515क के समक्ष, कॉलम (2) में, वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8524" पढ़ें।

[फा. सं. 190354/62/2023-टीआरयू]

विक्रम वानेरे, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 16th May, 2023

G.S.R. 368(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/2023-Customs published vide G.S.R. 332(E), dated the 29th April, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 1st May, 2023, at page number 5, in line 9, for ‘(i) against S. No. 515A, in column (2), for the entry, the entry “8524 11 30 or 8524 12 30”’, read ‘(iii) against S. No. 515A, in column (2), for the entry, the entry “8524”’.

[F. No. 190354/62/2023-TRU]

VIKRAM WANERE, Under Secy.